तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगान उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O.39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act r.w. O.39 R1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिये इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:- (क) प्रकरण प्रथम दृष्टया : ग्राम पगारिया तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी की रजिस्ट्री क्रमांक 201602285000693 दिनांक 25/5/2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार पिरथीसिंह पुत्र रामकिशन जाति भील द्वारा ग्राम पगारिया की वादग्रस्त आराजी ख०न० 635 रकबा 2-15 बीघा, ख०न० 641 रकबा 00-05 बीघा, ख०न० 642 रकबा 1-09 बीघा, ख०न० 644 रकबा 01-01 बीघा कित्ता 4 कुल रकबा 5-10 बीघा में से हिस्सा ½ का रजिस्ट्री से बेचान रामसिंह पिता उदा भील निवासी असनावर को 1,50,000/- की प्रतिफल राशि में बेचान कर भौतिक कब्जा सौंपा गया। उक्त बेचान का नामा० क्रेता रामसिंह के पक्ष में दर्ज क्यों नहीं हो पाया है- यह स्पष्ट नहीं है। कोई विशेष कारण भी प्रार्थी द्वारा अंकित नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा ना तो कोई जवाबदावा पेश किया गया और ना ही बहस के दौरान कोई स्पष्ट विरोध किया है। अत: वादग्रस्त आराजी का title and possession प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। (ख) सुविधा का संतुलन : वादग्रस्त आराजी का title and possession प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने और जमाबंदी में प्रार्थी के [illegible] में नामा० (mutation) दर्ज नहीं [illegible] आधार [illegible] विक्रेता पिरथीसिंह का कोई नामा० खातेदार भी अवैध जाहिर होता है। प्रार्थी द्वारा ससपथ कथन	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व आहकाम हुक्म के ... में ज...
	किया है कि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र से पिरथीसिंह के LRs का कोई स्वामित्व साबित नहीं होता है। अप्रार्थीगण (LRs) द्वारा भविष्य भूमि का बेचान, रहन आदि अन्तरण करने की धमकी देने से प्रार्थी के पक्ष में स्थगन जारी करने के सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।	

(स) अपूरणीय क्षति :- अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बेचानशुदा (registered sale deed) आराजी का title and possession नहीं होने पर भी नाम दर्ज का अनुचित लाभ लेकर बेचान, रहन आदि की जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act स्वीकार किया जाता है। ग्राम पगारिया की वादग्रस्त भूमि ख० नं० 635, 641, 642 व 644 कित्ता 4 रकबा 5-10 बीघा मृतक विक्रेता पिरथीसिंह के हिस्सा 1/2 पर रहन, बेचान आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को तादैसलमुकदमा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में भी दखल नहीं देवें। शेष 1/2 भाग पर कोई स्थगन नहीं होगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नियम से कम होकर मूल-वाद के साथ सलग्न...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:56 IST
Reason: SelfAttested

04/...

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner